रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06122023-250450
SG-DL-E-06122023-250450

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 320
No. 354]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023/AGRAHAYANA 15, 1945	[N. C. T. D. No. 320

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

फा. सं. 9(34)/भूमि एवं भवन/भू.अधि./2023/7857.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप–नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मैदानगढ़ी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क निर्माण करने के जन प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन रखते हैं। इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि खसरा सं0 442 कुल मापन क्षेत्र 2525.08 वर्ग मी0 मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट मे है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ

एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को, दिनांक 06/12/2023 की अधिसूचना फा. सं. फा. सं. 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/7846 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन–सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना–पत्र एवं जन–सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार यादव, उप–सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 6th December, 2023

F. No. 9(34)/L&B/LA/2023/7857.—In the exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O.2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire land for public purpose for construction of Road from SAARC University to CAPFIMS for Delhi Development Authority at Maidangarhi. The land to be acquired for this purpose comprises Khasra Nos. 442 total admeasuring area 2525.08 sq. mtr. in Revenue Estate Maidangarhi. The Indian Institute of Public Administration (IIPA), Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 has been assigned as the Social Impact Assessment Unit to carry out social impact assessment study in relation to aforesaid land vide Notification no. F .No. 9(34)/L&B/LA/2023/7846 dated 06/12/23.

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and public, survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan will be six months from date of publication of this notification in the official gazette and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in affected areas, and in the office of District Collector (South), M.B. Road, Saket, New Delhi.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR YADAV, Dy. Secy. (Land & Building)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.06 21:37:05 +05'30'